यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन, हल्द्वानी** के माह 10/2010 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अंशुमन अग्रवाल, श्री गोविन्द कुमार सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 15.03.2019 से 19.03.2019 तक संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2010 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सम्पूर्ण वन पंचायत, उत्तराखण्ड

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का **ब्यौरा** निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	शून्य
2016-17	
2017-18	

(ii) (ब) **बजट** का विवरण

विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**आवंटन**		**व्यय (` लाख में)**		**आधिक्य (+) ₹**	**बचत**	
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**स्थपना**	**गैर स्थापना**	**स्थपना**	**स्थपना**		**स्थापना**	**गैर स्थापना**
2015-16	-	-	221.87	170.43	208.11	191.83	-	51.44	16.28
2016-17	-	-	193.63	123.86	60.03	52.39	-	19.77	7.64
2017-18	-	-	733.68	731.42	-	-	-	2.26	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

(` लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत(-)/ आधिक्य (+)**
2015-16					
2016-17	शून्य				
2017-18					
2018-19(UP TO JANUARY)_					

इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन, हल्द्वानी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन, हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 09/2011, 01/2015, 09/2015, 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु (व्यय) चयनित किया गया।

माह ....को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो ....-.......

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन .... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

व्यय से संबन्धित

भाग – दो ब

प्रस्तर-1 वन पंचायतों से ₹ 49.97 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना।

प्रभाग के लेखा अभिलेखो की जांच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा केम्पा के अंतर्गत मुख्यमंत्री चरागाह विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 303 वन पंचायतों के ₹ 613.50 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी। लेखापरीक्षा के दौरान प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार पाया गया कि उक्त धनराशि के मात्र रूपये 563.53 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्तमान में प्रभाग में उपलब्ध है तथा ₹ 49.97 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। चूँकि उक्त राशि के व्यय के वाउचर कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराये गये है अतः उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक था ताकि व्यय की पुष्टि की जा सके।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग ने अवगत कराया कि संबन्धित वन पंचायतों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए है। वन पंचायतों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे है प्राप्त होने पर लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये जाएंगे।

अतः उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रेषित किए जाने की प्रतीक्षा संप्रेक्षा में रहेगी। ताकि उक्त राशि के व्यय की पुष्टि हो सके।

राजस्व से संबन्धित

STAN

प्रस्तर-1 जमानत जमा न जमा कराया जाना 0.64लाख।

कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गयी अधिकारियों/ कर्मचारियों की जमानत जमा संबंधी सूचना (संलग्न सूची) के अनुसार कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल ₹ 63500/- की जमानत जमा अवशेष है।जो प्रभाग द्वारा वर्तमान तक जमा नहीं कराई गयी है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि उक्त जमानत जमा की धनराशि जमा करा ली जाएगी।

अतः उक्त धनराशि ₹63500/- की जमानत जमा, जमा कराकर सूचित किए जाने की प्रतीक्षा संप्रेक्षा में रहेगी।

राजस्व से सम्बन्धित

STAN

प्रस्तर 2- निष्प्रयोज्य सामग्री का निस्तारण न किए जाने के कारण अवरुद्ध राशि ₹10433

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक,वन पंचायत एव संयुक्त वन प्रबंधन हल्द्वानी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी निष्प्रयोज्य सामग्री की सूची का अवलोकन करने पर पाया गया की विभाग में ₹10433 मूल्य की सामग्री (सूची संलग्न) निष्प्रयोज्य है।जिनके निस्तारण हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि निष्प्रयोज्य सामग्री का निस्तारण कर लेखापरीक्षा को अवगत करने का आश्वशन दिया है

अतः विभाग द्वारा कार्यवाही कर सूचित किए जाने की प्रतीक्षा संप्रेक्षा में रहेगी।

<u>भाग-III</u>

<u>राजस्व से संबंधित</u> विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
	प्रथम लेखापरीक्षा		

: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन, हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	एस.एस.शर्मा	प्रमुख वन संरक्षक
2	वीना शेखरी	प्रमुख वन संरक्षक
3	प्रकाश भटनागर	प्रमुख वन संरक्षक
4	राजेन्द्र महाजन	प्रमुख वन संरक्षक
5	अशोक मै.	प्रमुख वन संरक्षक
6	राजेन्द्र महाजन	प्रमुख वन संरक्षक
7	रेखा मै.	प्रमुख वन संरक्षक
8	राजेन्द्र महाजन	प्रमुख वन संरक्षक
9	राजीव भरतरी	प्रमुख वन संरक्षक
10	जयराज	प्रमुख वन संरक्षक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन, हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र